राजस्थान सरकार

शांति एवं अहिंसा विभाग

शासन सचिवालय, जयपुर–302015

क्रमांकः प.( ) शा.अ.नि. / म.गा.से.प्रे. / 2023 दिनांक : 14/8/2023

विज्ञप्ति संख्या– 01 / 2023

महात्मा गांधी सेवा प्रेरक हेतु आवेदन आमन्त्रण

शान्ति एवं अहिंसा विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों के समस्त ब्लॉकों के सभी राजस्व ग्रामों एवं शहरी क्षेत्र के सभी वार्डो में 50 हजार महात्मा गांधी सेवा प्रेरको को एक वर्ष के लिए नियत मानदेय पर लिये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

प्रेरकों की संख्या मे कमी / वृद्वि की जा सकती है।

चयनित महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों का कार्यकाल एक वर्ष होगा तथा राज्य सरकार द्वारा कार्यकाल घटाया / बढाया जा सकेगा।

शैक्षणिक योग्यता / अर्हता :– महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 अथवा समकक्ष होगी।

महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले प्रमाण पत्र धारक, Scout Guide, NCC/NYK Certificate धारी, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, पूर्व बजट घोषणा में चयनित महात्मा गांधी सेवा प्रेरक एवं महिला SHG की सदस्य को प्राथमिकता दी जायेगी।

आयु सीमा :– दिनांक 01.01.2024 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए।

मानदेय :– महात्मा गांधी सेवा प्रेरक को 4500 रू प्रतिमाह नियत मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य भत्ते आदि देय नही होंगे।

आवेदनः– आवेदन पत्र ऑनलाईन भरे जाऐगें। आवेदक अपनी ग्राम पंचायत / राजस्व ग्राम / शहरी वार्ड के लिए ही आवेदन कर सकेगा। एकाधिक स्थानों हेतु किये गये आवेदन अस्वीकार कर दिये जायेगे।

ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया :– विभाग द्वारा आवेदन Online Application Form द्वारा लिये जाएंगे जिन्हें राज्य के ई–मित्र कियोस्क / जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंवे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

1. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को शांति एवं अहिंसा विभाग के निदेशालय की वेब साईट http://peaceandnonviolence.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध "Apply online" link को click कर अथवा एस.एस.ओ.पोर्टल http://sso.rajasthan.gov.in से login करने उपरान्त, Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध, Recruitment Portal का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी Apply Now पर क्लिक करेगा एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरा जाएगा।

3. आवेदक अपने ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम/शहरी वार्ड के लिए ही आवेदन कर सकेगा।
4. आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. दर्ज करे तथा इसे बदले नहीं। महत्वपूर्ण सूचनाऐं आवेदन में दर्ज मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती है।
5. आवेदन पत्र को Final Submit करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक जरनेट हो जायेगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए।
6. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि ऑनलाईन आवेदन क्रमांक अंकित या प्राप्त नही हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन का Submit होना नहीं माना जायेगा।
7. अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर, विभाग अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतन्त्र होगा।
9. अपूर्ण भरे आवेदन पत्र रद्द कर दिये जावेगें एवं उन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
10. आवेदक को आवेदन करते समय किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये Helpdesk Number या E-mail पर सम्पर्क करे।
11. आवेदन हेतु **कोई शुल्क देय नही** है।

आवेदन अवधि :– अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 16.08.23 से दिनांक 29. 08.2023 रात्रि 12.00 बजे तक भरा जा सकता है।

चयन प्रक्रिया :– महात्मा गांधी सेवा प्रेरक हेतु प्राप्त पूर्ण भरे ऑनलाइन आवेदन पत्रों में से, वांछित योग्यता/अर्हता धारित अभ्यर्थियों का योग्यता एवं अन्य समस्त मूल दस्तावेजो का सत्यापन/जांच तथा साक्षात्कार कर, उपखण्ड स्तरीय समिति/साक्षात्कार समिति द्वारा, जिला स्तरीय समिति को अपनी अनुशंषा प्रेषित की जायेगी। जिसके आधार पर जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक राजस्व ग्राम/शहरी वार्डवार अन्तिम अनुमोदित सूची से विभाग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को उनके क्षेत्र में महात्मा गांधी सेवा प्रेरक लगाया जावेगा।

आवेदक द्वारा जिस राजस्व ग्राम/वार्ड (शहरी क्षेत्र) के लिए आवेदन किया है, आवेदक उस राजस्व ग्राम/वार्ड (शहरी क्षेत्र) का वह स्थानीय निवासी होना चाहिए।

आगंनबाडी कार्यकर्ताओं के चयन के प्रावधानों के अनुरूप ही, जिन राजस्व ग्रामों/शहरी वार्डों के कवरेज क्षेत्रों में, जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक आदि का है, तो उसी वर्ग के आवेदक का अनिवार्यतः चयन किया जावेगा। तदानुसार आरक्षित वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

साक्षात्कार के समय वांछित दस्तावेज़/प्रमाण पत्रों का सत्यापनः– अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में वर्णित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हता संबंधित समस्त प्रमाण पत्र/दस्तावेज, साक्षात्कार के समय मूल प्रति के रूप में प्रस्तुत किये जाने होंगे।

आधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र/विवाह प्रमाण पत्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र में से कोई भी दो वांछनीय दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमी लेयर के जारी प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जावेगी। (क्रिमी लेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

क्र. सं.	योग्यता दस्तावेज	हाँ/नहीं	संलग्नक पृष्ठ संख्या
1.	अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकतालिका/प्रमाण पत्र		
2.	सैकेण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र		
3.	जन्म तिथि का प्रमाण पत्र		
3.	स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र • मतदाता पहचान पत्र • राशन कार्ड • आधार कार्ड • जन आधार कार्ड		
4.	किसी वर्ग की जनसंख्या 50 प्रतिशत या अधिक होने वाले राजस्व ग्राम/शहरी वार्ड हेतु • अनुसूचित जाति(SC)/जनजाति(ST)/अल्पसंख्यक(ALP) आदि का प्रमाण पत्र		
5.	महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले प्रमाण पत्र धारक, Scout Guide, NCC/NYK Certificate धारी, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, पूर्व बजट घोषणा में चयनित महात्मा गांधी सेवा प्रेरक एवं महिला SHG के सदस्य का प्रमाण पत्र		

साक्षात्कार के समय उक्तानुसार वांछित दस्तावेज़ो की मूल प्रति एवं स्वयं के प्रमाणित छाया प्रति आवश्यक रूप से लाएं।

विशेष नोट :– यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शांति एवं अहिंसा विभाग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है। अगर फिर भी आवेदक/ई–मित्र/अन्य स्त्रोत द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रहा जाती है एवं उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नही रखता है, इत्यादि के कारण अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन पत्र विभाग/साक्षात्कार पैनल द्वारा खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।